भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

.....

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 152
(22 नवम्बर, 2011 को उत्तर दिए जाने के लिए)
खेती श्रमिकों की उपलब्धता पर मनरेगा का प्रभाव

152. श्री पीयूष गोयलः

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि मनरेगा की वजह से कुछ राज्यों में खेती श्रमिकों की कमी हो गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार सभी क्षेत्रों में श्रमिकों की संतुलित आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए कोई कदम उठा रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री प्रदीप जैन 'आदित्य')

(क) से (घ) : ऐसे कोई निश्चित निष्कर्ष नहीं हैं जिससे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (महात्मा गांधी नरेगा) के कारण कृषि मजदूरों की कमी का पता चले । चूंकि महात्मा गांधी नरेगा कानून द्वारा मान्यता प्राप्त एक मांग आधारित योजना है, जैसा कि अधिनियम में अधिदेश है वर्ष में किसी भी समय, यदि काम मांगा जाता है तो राज्य सरकारों का दायित्व है कि वे एक वित्तीय वर्ष में अकुशल शारीरिक कार्य करने के लिए प्रत्येक ग्रामीण परिवार को 100 दिनों तक का गारंटीकृत मजदूर रोजगार उपलब्ध कराएं । एमजीनरेगा के अंतर्गत 2008-10 के दौरान रोजगार के सृजित श्रमदिवसों का औसत प्रति वर्ष 54 दिनों से 47 दिनों के बीच में है । 1972-73 से 2009-10 के बीच राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन द्वारा कराए गये सर्वेक्षण में कृषि में पिछले वर्षों से पुरूष और महिला के अनुपात में लगातार कमी दर्शाई गई है जबकि महात्मा गांधी नरेगा 2.2.2006 से ही प्रचालन में है । अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के लिए श्रम की मांग और आपूर्ति कई कारकों जैसे मजदूरी दरों, आर्थिक पहलुओं, खपत क्षमता, क्षेत्रीय और जलवायु अवस्थाओं, कामगारों की जन सांख्यिकीय रूपरेखा इत्यादि पर निर्भर करती है ।

*****